कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री विनय इन्टरप्राइजेज, 105, भाटवाड़ा, मेरठ ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**112 / 09, 17.11.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री विनय इन्टरप्राइजेज, 105, भाटवाड़ा, मेरठ द्वारा दिनांक 17.11.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' लोहे के तार से बने स्प्रिंग '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 06.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा पत्र संख्या-3217, दिनांक 07.01.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत व्यापारी स्प्रिंग के निर्माण / बिक्री हेतु पंजीकृत है । व्यापारी द्वारा अपने पंजीयन प्रार्थना-पत्र में किसी वस्तु विशेष में प्रयोग होने वाली स्प्रिंग का निर्माण कर बिक्री करने का उल्लेख नहीं किया गया है । व्यापारी द्वारा निर्मित स्प्रिंग, जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है, स्वयं में ट्रैक्टर पार्ट्स या कृषि यन्त्र नहीं है । बल्कि उपरोक्त वस्तुओं के लिए कच्चा माल है जिस पर ट्रैक्टर पार्ट्स या कृषि यन्त्र की भाँति करदेयता नहीं हो सकती । अत: लोहे के तार से निर्मित स्प्रिंग को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत रखते हुए इस पर 12.5% की दर से ही करदेयता निर्धारित किया जाना उचित होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि लोहे के तार से बने स्प्रिंग पर सर्वश्री मेटल एण्ड कम्पोनेन्टस (इन्डिया) 5 (1) गर्व0 इण्ड0 स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-334 / 2008 में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 से 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की जा चुकी है । अत: उक्त वस्तु पर पुन: कर की दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि सर्वश्री मेटल एण्ड कम्पोनेन्टस (इन्डिया) 5 (1) गर्व0 इण्ड0 स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के मामले में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-334 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 से लोहे के तार से निर्मित स्प्रिंग्स पर कर की दर निर्धारित की जा चुकी है । पुन: उसी वस्तु

....2

पर कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह0 / 21.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।